	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण 10, गुरूवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 01, 2022 *Agrahayana 10, Thursday , Saka 1944- December 01, 2022*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 30, 2022

संख्या प.7(702)एसएचए/पीपीपी/2021-22/डी- 1302 :-यतः राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेड़ता सिटी एस.एच. 21 सड़क परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण व्यक्तियों का गैर स्वैच्छिक विस्थापन होने की संभावना है।

अतः अब भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता का अधिकार अधिनियम 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा दांतीवाड़ा-पीपाड़-मेड़ता सिटी एस.एच. 21 सड़क परियोजना के लिए उपखण्ड अधिकारी जोधपुर, बिलाड़ा एवं पीपाड़ जिला जोधपुर एवं उपखण्ड अधिकारी मेड़ता जिला नागौर को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रषासक के रूप में नियुक्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

सुनिल गुप्ता,
संयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि.वि., जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।